<u>कार्यालय–जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल (म.प्र.)</u>

<u>निविदा आमंत्रण सूचना</u>

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल स्थित दुकान कमांक–03 में एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क एवं फोटोकॉपी कार्य किय जाने हेतु आगामी एक वर्ष के लिये मासिक किराये पर प्रदान किया जाना है। उक्त दुकान मासिक किराये पर लिए जाने हेतु एम.पी.ऑनलाईन कियोस्क एवं फोटोकॉपी कार्य संचालन हेतु अधिकृत संस्थाओं, व्यक्तियों एवं कंपनियों से निविदा प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। निविदा की शर्तों संबंधी निविदा प्रलेख एम.पी.ऑनलाईन की वेबसाइट, उच्च्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट www.mphc.gov.in एवं जिला न्यायालय भोपाल की वेबसाइट htts://bhopal.dcourts.gov.in/#tenders पर उपलब्ध है। की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इच्छुक संस्थायें/व्यक्तियों/ कंपनियां अपना आवेदन निविदा शर्तो के संबंध में सहमति दर्शाते हुए दिनांक 01.08.2024 को सांय 05.00 बजे तक रजिस्ट्रार कार्यालय, जिला न्यायालय, भोपाल में जमा कर सकते हैं। निविदा दिनांक 02.08.2024 को सांयकाल 05.00 बजे अधिकृत कमेटी के समक्ष खोली जावेगी। जिसमें निविदाकर्ता भी उपस्थित रह सकते है। निविदा प्रलेख/आवेदन राशि रूपये 100/– नगद जमा करने पर, नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय, भोपाल से दिनांक 31.07.2024 तक कार्यालयीन समय पर प्राप्त किए जा सकेंगे।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल (म.प्र.)

कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल (म.प्र.)

निविदा–प्रलेख

जिला न्यायालय परिसर भोपाल में स्थित दुकान कमांक–3 में **एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क** एवं **फोटोकॉपी कार्य** संचालन हेतु अनुबंध निष्पादन दिनांक से आगामी एक वर्ष के लिये मासिक किराये पर प्रदान करने हेतु निम्न शर्तों के अधीन निविदा आमंत्रित की जाती है।

01. जिला न्यायालय परिसर स्थित दुकान क. 3 में **एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क फोटोकॉपी कार्य** संचालन हेतु हेतु रू. **65,000/–** (पैंसठ हजार रुपए) की एफ.डी.आर. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल के नाम से सुरक्षा निधि के रूप में अनुबंध निष्पादन दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए उक्त दुकान मासिक किराये पर आवंटित होने पर 15 दिवस में प्रस्तुत करना होगी।

02. मासिक किराये की न्यूनतम दर राशि रुपए **16,000/–** प्रतिमाह प्रत्येक माह की 5 तारीख तक अग्रिम देय होगी तथा निरन्तर तीन माह तक किराया जमा नहीं करने की दशा में सुरक्षा निधि जप्त कर वसूल की जाएगी तथा अनुबंध/ठेका तत्काल निरस्त किया जाएगा।

03– व्यवसायिक प्रतिष्ठान कार्य हेतु एक वर्ष के लिए अनुज्ञप्ति पर दिया जाएगा। प्राप्त निविदाओं में से उच्चतर की निविदा को मान्य किया जाएगा।

04. विकलांग/विधवा/परित्यक्ता/सशस्त्र बल के सेवानिवृत्त सदस्यों तथा अनुभव प्राप्त बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

05. प्रतिष्ठान का पंजीयन नगर निगम, भोपाल संस्थापना अधिनियम के अंतर्गत कराना आवश्यक होगा।

06. व्यवसायिक प्रतिष्ठान के संचालक यदि कोई कर्मचारी नियुक्त करते है तो उन्हें श्रम विधियों के समस्त नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

07. व्यवसायिक प्रतिष्ठान में ऐसी कोई भी गतिविधि या कार्यवाही नहीं करेंगे जिससे कि शासकीय सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति कारित होती हो।

08. व्यवसायिक प्रतिष्ठान का व्यवसाय न्यायालयीन कार्य दिवस एवं आवश्यकतानुसार ही किया जाएगा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के निर्देशानुसार अन्य दिवसों में भी कार्य संचालित किया जाएगा।

09. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल का एकमात्र विवेकाधिकार आवंटन के संबंध में अंतिम होगा।

10. व्यवसायिक प्रतिष्ठान आवंटित स्थान में किसी भी प्रकार का स्थाई निर्माण/संरचना तथा क्षति कारित नहीं करेंगे।

11. व्यवसायिक प्रतिष्ठान में ऐसा अस्थाई निर्माण जो कि व्यवसाय के संचालन में आवश्यक है, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल को प्रस्तावित निर्माण की स्थिति दर्शित कर अनुमोदित कराने के उपरांत ही कर सकेंगे।

12. व्यवसायिक प्रतिष्ठान हेतु आवंटित स्थान को साफ–सुथरा तथा प्रदूषण से मुक्त रखेंगे तथा किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र या आडियो सिस्टम का उपयोग नहीं करेंगे।

13. आवंटित व्यवसायिक प्रतिष्ठान को किसी अन्य को आवंटित अथवा हस्तांतरित नहीं कर सकेंगे।

14. व्यवसायिक प्रतिष्ठान संचालक को स्वयं के व्यय पर विद्युत मीटर प्राप्त करना होगा।

15. निविदा की शर्ते एवं निविदा प्रलेख एम.पी.ऑनलाईन की वेबसाइट उपलब्ध है।

16. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल को यह अधिकार होगा कि व्यवसायिक प्रतिष्ठान हेतु प्रदत्त अनुज्ञप्ति को किसी भी समय बिना कारण बताए एक माह का नोटिस देकर निरस्त कर दे और उस दशा में ऐसे आवंटितों को एक माह की अवधि में व्यवसायिक प्रतिष्ठान हटाना होगा, अन्यथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को यह अधिकार होगा कि ऐसे स्थान को रिक्त करवा ले।

17. व्यवसायिक प्रतिष्ठान संचालक का कार्य संतोषजनक पाये जाने पर उक्त अवधि को में बढ़ोत्तरी किये जाने के संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल द्वारा विचार किया जावेगा।

18. अनुबंध पत्र निष्पादन संबंधित समस्त व्यय राशि का वहन संबंधित संस्था/फर्म द्वारा किया जावेगा।

19. आवेदक जिला न्यायालय परिसर के भूतल में स्थित दुकान कमांक 3 का निरीक्षण कर सकेगा।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
भोपाल (म0प्र0)